

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उन्वान

1. महावीर पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादी

♣ बनाम ♣

1. बट्टीविशाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

3. पुरुषोत्तम पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राम्हण
निवासीगण सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

-प्रफोर्मा प्रतिवादी

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 381/2016 (2016/00749)

निर्णय दिनांक:- 12.9.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह वकील वादी व श्री कमलेश शर्मा वकील प्रतिवादी पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुददावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या नया-पुराना 134-135 के खसरा संख्या 416, 417, 494, 573, 580, 581, 992, 993 रकबा 0.12, 1.99, 0.85, 0.72, 0.03, 0.03, 3.35, 1.63 हैक्टर कुल किता 8, कुल रकबा 8.72 हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 21.6.2018 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है


क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	महावीर पुत्र रामेश्वर कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा केकडी (लाल रंग)	417/1	0.9950	
		416/1	0.06	
		494/1	0.4250	
		992/1	1.67	
		993/1	0.82	
		573/1	0.1350	
		573/3	0.2250	
		कुल किता 7	कुल रकबा 4.33	
2	बट्टीविशाल हि. 4/5 पुरुषोत्तम हि. 1/5 पि0 रामेश्वर कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा केकडी बट्टीविशाल का हिस्सा (नीला रंग)	417/2	0.9950	
		416/2	0.06	
		494/2	0.4250	
		992/2	1.68	
		993/2	0.81	
		573/2	0.1350	
		573/4	0.2250	
		कुल किता 7	कुल रकबा 4.33	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्ने अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... वाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.9.2022 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)



मुहर

उपरोक्त अक्षिपानी
केपसी (केपसी) मुहर

मुद्रदेई	रुपया	पैसा	मुद्रबलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	स्टाम्प वजह सबूत
महनताना वकील	महनताना वकील
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
वावत इजराय हुकमनामा	वावत इजराय हुकमनामा
मुतफरिक	मुतफरिक
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।



राशाला उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजपव वार्द 381 / 2016(2016 / 00749)
1. महावीर पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राम्हण निवासी सरराडी तहशील केकडी जिला अजमेर।

—वादी

♦ वगाम ♦

2. राजस्थान सरकार जारिसे तहशीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

3. पुरुषोत्तम पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राम्हण
निवासीगण सरराडी तहशील केकडी जिला अजमेर।

—प्रकोर्मा प्रतिवादी

राजपव वार्दपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपरिस्थित:-
वादी वकील :- श्री वृजेन्द्र प्रताप सिंह
प्रकोर्मा प्रतिवादी वकील- श्री कमलेश शर्मा
पेशकार सरकार :- जारिसे तहशीलदार केकडी


आदेश

दिनांक 12.9.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया ,कि ग्राम सरराडी तहशील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 134-135 के खसरा संख्या 416, 417, 494, 573, 580, 581, 992, 993 रकबा 0.12, 1.99, 0.85, 0.72, 0.03, 0.03, 3.35, 1.63 हैक्टर कुल कितता 8, कुल रकबा 8.72 हैक्टर का निर्णय व प्राथमिक छिकरी दिनांक 21.6.2018 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहशीलदार केकडी को मौका कभिन्नर नियुक्त किया गया था। तहशीलदार केकडी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
1.	महावीर पुत्र रामेश्वर कौम ब्राम्मण सा.देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा केकडी (लाल रंग)	417 / 1 416 / 1 494 / 1 992 / 1 993 / 1 573 / 1 573 / 3	0.9950 0.06 0.4250 1.67 0.82 0.1350 0.2250	
		कुल कितता 7	कुल रकबा 4.33	
2	वद्रीविशाल हि. 4 / 5 पुरुषोत्तम हि. 1 / 5 पि0 रामेश्वर कौम ब्राम्हण सा.देह खातेदार राहिन बी.ओ.बी शाखा केकडी वद्रीविशाल का हिस्सा (नीला रंग)	417 / 2 416 / 2 494 / 2 992 / 2 993 / 2 573 / 2 573 / 4	0.9950 0.06 0.4250 1.68 0.81 0.1350 0.2250	
		कुल कितता 7	कुल रकबा 4.33	

तहशीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव में वादी का हिस्सा ताल रंग व प्रतिवादी का हिस्सा नीला रंग से चिह्नित किया गया है। तहशीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी उपरिस्थित प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दरतावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित वटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार वटवारा किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	महावीर पुत्र रामेश्वर कौम ग्रामण सा.देह खातेदार साहिन वी.ओ.वी शाखा केकड़ी (लाल रंग)	417/1 416/1 494/1 992/1 993/1 573/1 573/3	0.9950 0.06 0.4250 1.67 0.82 0.1350 0.2250	
		कुल कित्ता 7	कुल रकबा 4.33	
2	बद्रीविशाल हि. 4/5 पुरुषोत्तम हि. 1/5 पि0 रामेश्वर कौम ग्रामण सा.देह खातेदार साहिन वी.ओ.वी शाखा केकड़ी बद्रीविशाल का हिस्सा (नीला रंग)	417/2 416/2 494/2 992/2 993/2 573/2 573/4	0.9950 0.06 0.4250 1.68 0.81 0.1350 0.2250	
		कुल कित्ता 7	कुल रकबा 4.33	

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करें। इस आशय का डिक्ली पत्रा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचायती)
उपसमूह अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

(Handwritten signature)